



## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक:- एफ2(3)लागत/1037 (iii)/536

दिनांक : 16.8.17

### -: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान आवासन मण्डल की 234वीं बैठक दिनांक 31.7.2017 के बिन्दु संख्या 234.11 में लिये गये निर्णयानुसार मूल्य निर्धारण नीति का निर्धारण होने तक वर्ष 2017-18 के लिये विकसित भूमि दर वर्ष 2016-17 के समान अग्रिम आदेशों तक स्थिर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

आवासन आयुक्त

क्रमांक:- एफ2(3)लागत/1037 (iii)/536

दिनांक : 16.8.17

### प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01 प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 02 निजी सचिव-आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 03 वरिष्ठ निजी सहायक-सचिव/वि0स0एवं मुख्यलेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 04 अति.मुख्य अभियन्ता, ....., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 05 अति.मु. अभियन्ता (द्वितीय), राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
- 06 मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 07 उप आवासन आयुक्त, वृत्त-....., राजस्थान आवासन मण्डल, .....
- 08 संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
- 09 आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., राजस्थान आवासन मण्डल, .....
- 10 सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-....., राजस्थान आवासन मण्डल, .....
- 11 वरिष्ठ लेखाधिकारी, ....., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 12 लेखाधिकारी, वृत्त-....., राजस्थान आवासन मण्डल, .....
- 13 रक्षित फाईल।

वित्तीय सलाहकार